Jharkhand Education Project Council, Ranchi

Notice for Employment

State Project Director, Jharkhand Education Project Council, Ranchi invites application from eligible candidates including retired Civil Engineers of State Govt./ Central Govt./ Public Sector undertaking for taking services on short term contractual basis for the post of **Executive Engineer** against 05 vacant post under JEPC. Application format and detailed information is available on official website "**https://jepc.jharkhand.gov.in**"

6/12/22

State Project Director,
Jharkhand Education Project Council, Ranchi

Ranchi/Dated:………………….

Memo No: ME/01/393/2006/3349 **Ranchi/Dated:** 06-12-22

Copy to : Director, Department of Public Relation, Ranchi for publishing in two-three leading news paper of Jharkhand on 07.12.2022 and 09.12.2022 with a request that the advertisement be published as per present amended notice for employment and no action be taken on memo no. 3247 dated 06.12.2022 sent to your office please.

6/12/22

(Kiran Kumari Pasi)
State Project Director,
JEPC, Ranchi

An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर–3,
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष–0651-2444501, 2444502, फैक्स–2444506
ई–मेल: jepcranchi1@gmail.com

चयन हेतु आवश्यक सूचना

1. राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों से जो इस प्रकाशित विज्ञापन अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता के पद हेतु वांछित अहर्ता रखते हों से निम्नांकित शर्तों के अधीन चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमांत्रित किए जाते हैं:–

क्र. सं.	पदनाम	संख्या	वांछित अहर्ता	कुल रिक्ति	देय परिलब्धि
1	कार्यपालक अभियंता	05	1. किसी मान्यता प्राप्त अभियंत्रण प्रतिष्ठान/विश्वविद्यालय से B.Tech. / B.E in Civil Engineering with minimum 55% marks. 2. कार्यपालक अभियंता के पद पर चयन हेतु संबंधित भवन निर्माण कार्य के क्षेत्र में न्यूनतम कार्यपालक अभियंता के रूप में 05 वर्षों का कार्य करने का अनुभव **अथवा** सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्य करने का अनुभव जिन्हें केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के भवन निर्माण से संबंधित विभागों में कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्य करने का न्यूनत्तम 05 वर्षों का अनुभव हो **अथवा** झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् से सेवानिवृत्त अभियंता जिन्हें सहायक अभियंता के रूप में न्यूनतम 12 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **अथवा**	कुल – 05 (UR – 02, ST – 01, SC – 01, BC-I – 01)	1. सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को चयन के पश्चात् वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1243/वि. दिनांक 20.08.2016 (छायाप्रति संलग्न) के सनहित प्रावधानों के अन्तर्गत संविदा राशि देय होगी। 2. वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन प्रतिनियुक्ति अथवा Lien के आधार पर होगा उन्हें झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के सेवा शर्तों एवं Financial Manual के अधीन देय प्रोजेक्ट भत्ता उनके मूल विभाग के वेतन के अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। 3. कार्यपालक अभियंता के पद पर नव चयनित अभयर्थियों को Basic Monthly Fixed Honorarium Rs. 48864/- per month. 4. Pay Protection will be provided to AE working in JEPC. 5. Monthly Emoluments under consideration for revision. The decision of Executive Committee of JEPC will be applicable to all.

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर–3,
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष–0651-2444501, 2444502, फैक्स–2444506
ई–मेल: jepcranchi1@gmail.com

क्र. सं.	पदनाम	संख्या	वांछित अहर्ता	कुल रिक्ति	देय परिलब्धि
			केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा सरकार के बोर्ड / निगम/परिषद्/पी.एस.यू. आदि में कार्यरत / सेवानिवृत्त सहायक अभियंता जिन्हें भवन निर्माण के क्षेत्र में न्यूनत्तम 12 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो ऐसे अर्हताधारी योग्य अभ्यर्थी चयन / प्रतिनियुक्ति / धारणाधिकार (Lien) पर कार्य करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।		

अन्य अनुमान्य सुविधाएं –

1. संतोषप्रद कार्य के आधार पर 3% वार्षिक मानदेय वृद्धि।
2. समय–समय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर देय मानदेय एवं अन्य परिलब्धियों में बढ़ोतरी की जाएगी।
3. सेवानिवृति लाभ यथा ग्रेचुएटी, अव्यवहरित अर्जित अवकाश के समतुल्य राशि का भुगतान एवं EPFO Rules के तहत पेंशन की सुविधा।

2. न्यूनतम शैक्षणिक, तकनीकी अहर्ता एवं कार्य अनुभव :–

i. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक Civil Engineering में डिग्री या समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा अर्थात शैक्षणिक योग्यता निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित न्यूनत्तम शैक्षणिक, तकनीकी अहर्ता एवं कार्य अनुभव नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए आयोग्य समझे जायेंगे।

ii. झारखण्ड राज्य कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 4768 दिनांक *13-09-2021 and subsequent Staff Selection Commission notification no. 7947 dated 17-11-2021 the conduct rule of examination by Staff Selection Examination has been amended and the following provisions have been added as qualification for selection for Government of Jharkhand posts (Graduate level and above).*

An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर–3,
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष–0651-2444501, 2444502, फैक्स–2444506
ई–मेल: jepcranchi1@gmail.com

"उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त सीधी भर्ती के लिए झारखण्ड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीण होना एवं अभ्यर्थी को स्थानीय रीति– रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

यदि राज्य सरकार द्वारा संविदा के आधार पर चयन होने वाले इन पदों के लिए भी निम्न दिशा–निदेश लागू किया जाता है जो सरकारी कर्मचारी के चयन हेतु लागू है तो इसका प्रभाव इस प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर चयन किए जाने वाले पदों की अहर्ता पर भी पड़ेगा।

तदोनुसार इन पदों के लिए भी उपरोक्त निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी अहर्ता के साथ–साथ कंडिका– 2(ii) के द्वारा भी चयन हेतु आवश्यक अहर्ता निर्धारित की जा सकती है।

3. आयु सीमा :–

i. न्यूनत्तम एवं अधिकत्तम उम्र सीमा की गणना की संदर्भ तिथि 01.07.2022 होगी।

ii. कार्यपालक अभियंता के पद हेतु निर्धारित उम्र सीमा निम्नवत् होगी :–

क) न्यूनत्तम उम्र सीमा – 21 वर्ष

ख) अधिकत्तम उम्र सीमा (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25.01.2016 द्वारा यथा निर्धारित)

क्र.सं.	कोटि	अधिकत्तम उम्र सीमा
1	अनारक्षित	35 वर्ष
2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)–पुरूष	37 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)	38 वर्ष
4	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष

आयु सीमा में छूट –

क) सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकत्तम आयु सीमा में 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पर्षद से विहित प्रपत्र में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में दिव्यांगता का दावा तभी मान्य होगा जब दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता दिव्यांगता के आधार पर मान्य नहीं होगी।

ख) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् अन्तर्गत कार्यरत सहायक अभियंता जो चयन हेतु निर्धारित अहर्ता रखते हों उन्हें उपरोक्त निर्धारित आयु सीमा में परियोजना अन्तर्गत किए गए कार्य वर्षों के अनुरूप आयु सीमा में छूट दी जा सकेगी।

ग) कार्यपालक अभियंता के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जो सेवानिवृत्त हैं उनके लिए अधिकत्तम आवेदन करने की उम्र सीमा उपरोक्त निर्धारित तिथि को 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

घ) कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति/Lien पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के भवन निर्माण से संबंधित विभागों में कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्य करने का न्यूनत्तम 05 वर्षों का अनुभव रखते हो अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा केन्द्र

An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,
धुर्वा, राँची - 834 004
दूरभाष-0651-2444501, 2444502, फैक्स-2444506
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

प्रायोजित योजनाओं में कार्यरत सहायक अभियंता जिन्हें भवन निर्माण के क्षेत्र में न्यूनत्तम 12 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो के लिए अधिकत्तम उम्र सीमा सरकारी सेवको के लिए निर्धारित सेवानिवृति की उम्र 60 वर्ष से 02 वर्ष न्यून होनी चाहिए।

4. **पात्रता :-**

चयन हेतु आवेदन करने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। चयन प्रक्रिया हेतु बुलावा पत्र/साक्षात्कार पत्र/प्रवेश पत्र निर्गत किया जाना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित पात्रता पूर्ण करते हैं। चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय या बाद में अभ्यर्थियों के पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों के जांच के दौरान यदि आवदेक द्वारा भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा सत्यापन में अनियमित अथवा अवैध पाए जाते हैं तो अभ्यर्थी का आरक्षण, अन्य लाभ नहीं मिलेगा तथा अभ्यर्थिता /चयन किसी भी वक्त रद्द किया जा सकता है।

5. आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के दिशा-निदेशों के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र एवं आरक्षण कोटि से संबंधित जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। उसी तरह वैसे अभ्यर्थी जो EWS श्रेणी हेतु आवेदन करेंगे उन्हें अपने आवेदन पत्र के साथ झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत Income and Assets Certificate for Economically Weaker Sections प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. **परीक्षा शुल्क** : परीक्षा शुल्क (Non Re-fundable) रू. 1000/- (एक हजार रुपये) है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क रु 500/- (पांच सौ रुपये) है। परीक्षा शुल्क जे.ई.पी.सी. बेवसाइट पर Credit card/debit card/ Net banking/ UPI के माध्यम से भुगतेय होगा।

7. **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :- दिनांक 26.12.2022**

8. **चयन संबंधी दिशा-निदेश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें निम्नवत हैं -**

   1. चयनित होने वाले पदाधिकारी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में इसे विस्तारित किया जाएगा।
   2. कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में इस अनुबंध को एक माह का नोटिस देकर बिना कारण बताए कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।
   3. योग्य अभ्यर्थी अपने आवेदन झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के अधिकारिक वेबसाईट **"https://jepc.jharkhand.gov.in"** के Notice Board Menu के Recruitment Link पर जाकर अपने आवदेन दिनांक 26.12.2022 के संध्या 5 P.M बजे तक समर्पित कर सकते हैं।
   4. योग्य अभ्यर्थियों का चयन झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं अभ्यर्थियों के संख्या के अनुरूप साक्षात्कार अथवा लिखित एवं साक्षात्कार दोनों के माध्यम से किया जाएगा।
   5. चयन में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
   6. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अपने आवेदन के साथ अभिप्रमाणित शैक्षणिक/तकनीकी शिक्षा एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

घ) कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति/Lien पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के भवन निर्माण से संबंधित विभागों में कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्य करने का न्यूनत्तम 05 वर्षों का अनुभव रखते हो अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कार्यरत सहायक अभियंता जिन्हें भवन निर्माण के क्षेत्र में न्यूनत्तम 12 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो के लिए अधिकत्तम उम्र सीमा सरकारी सेवको के लिए निर्धारित सेवानिवृति की उम्र 60 वर्ष से 02 वर्ष न्यून होनी चाहिए।

4. पात्रता :–

चयन हेतु आवेदन करने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। चयन प्रक्रिया हेतु बुलावा पत्र/साक्षात्कार पत्र/प्रवेश पत्र निर्गत किया जाना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित पात्रता पूर्ण करते हैं। चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय या बाद में अभ्यर्थियों के पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों के जांच के दौरान यदि आवदेक द्वारा भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा सत्यापन में अनियमित अथवा अवैध पाए जाते हैं तो अभ्यर्थी का आरक्षण, अन्य लाभ नहीं मिलेगा तथा अभ्यर्थिता /चयन किसी भी वक्त रद्द किया जा सकता है।

5. आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के दिशा–निदेशों के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र एवं आरक्षण कोटि से संबंधित जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। उसी तरह वैसे अभ्यर्थी जो EWS श्रेणी हेतु आवेदन करेंगे उन्हें अपने आवेदन पत्र के साथ झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत Income and Assets Certificate for Economically Weaker Sections प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :– दिनांक 26.12.2022**

7. **चयन संबंधी दिशा–निदेश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें निम्नवत हैं –**
    1. चयनित होने वाले पदाधिकारी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में इसे विस्तारित किया जाएगा।
    2. कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में इस अनुबंध को एक माह का नोटिस देकर बिना कारण बताए कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।
    3. योग्य अभ्यर्थी अपने आवेदन झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के अधिकारिक वेबसाईट **"https://jepc.jharkhand.gov.in"** के Notice Board Menu के Recruitment Link पर जाकर अपने आवदेन दिनांक 26.12.22 के संध्या 5 P.M बजे तक समर्पित कर सकते हैं।
    4. योग्य अभ्यर्थियों का चयन झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं अभ्यर्थियों के संख्या के अनुरूप साक्षात्कार अथवा लिखित एवं साक्षात्कार दोनों के माध्यम से किया जाएगा।
    5. चयन में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
    6. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अपने आवेदन के साथ अभिप्रमाणित शैक्षणिक/तकनीकी शिक्षा एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर–3,
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष–0651-2444501, 2444502, फैक्स–2444506
ई–मेलः jepcranchi1@gmail.com

7. कार्यपालक अभियंता झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र से संबंधित असैनिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु जवाबदेह होंगे तथा राज्य स्तर से दिए गए दिशा–निदेशों के अनुरूप प्रतिवेदन एवं निर्णयों के आलोक में कार्य करेंगे।
8. परियोजना की आवश्यता के अनुरूप अंतिम चयन तथा किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने तथा विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक, जे.ई.पी.सी. के पास सुरक्षित रहेगा।

(किरण कुमारी पासी)
राज्य परियोजना निदेशक,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद,
राँची।

ज्ञापांकः NE/01/393/2006/3349 राँची, दिनांकः 06-12-2022

प्रतिलिपिः

1. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।
2. असैनिक कार्य प्रबंधक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(किरण कुमारी पासी)
राज्य परियोजना निदेशक,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद,
राँची।

ज्ञापांकः NE/01/393/2006/3349 राँची, दिनांकः 06/12/2022

प्रतिलिपिः श्री सचिन कुमार, एम.आई.एस. समन्वयक–सह–तकनीकी समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि विज्ञापन सामग्री एवं आवेदन का प्रारूप को जे.ई.पी.सी. के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(किरण कुमारी पासी)
राज्य परियोजना निदेशक,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद,
राँची।

ज्ञापांकः NE/01/393/2006/3349 राँची, दिनांकः 06-12-2022

प्रतिलिपिः प्रशासी पदाधिकारी, जे.ई.पी.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस विज्ञापन सामग्री को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(किरण कुमारी पासी)
राज्य परियोजना निदेशक,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद,
राँची।